बीकानेर में 29 बीघा भूमि पर भूमाफियाओं का कब्जा, यूआईटी प्रशासन मौन?

इस अतिक्रमण के चलते पटवार हलका करमीसर की मुरलीधर व्यास कॉलोनी एक्सटेंशन-7 योजना खटाई में पड़ी

- हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद निकाय अफसरों ने भूमाफियाओं पर कार्रवाई नहीं की तो भारतीय किसान यूनियन ने बीकानेर संभागीय आयुक्त को पत्र लिखा

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर/बीकानेर। बीकानेर शहर में पटवार हलका करमीसर की साढ़े 29 बीघा भूमि पर प्रस्तावित मुरलीधर व्यास कॉलोनी एक्सटेंशन-7 की योजना एक बार फिर से खटाई में पड़ गई है। करोड़ों की इस भूमि पर भूमाफियाओं ने फिर से जबरन अवैध कब्जा कर लिया है। शहर में सत्ताधारियों के गुर्गों का भय "यूआईटी" पर इस कदर हावी है कि उसे राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की भी परवाह नहीं है। कोर्ट के निर्णय की पालना तो दूर नगर विकास न्यास के अधिकारी आंख मूंदकर अतिक्रमणकारियों का अपरोक्ष रूप साथ दे रहे है।

इसकी शिकायत भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के बीकानेर संभाग अध्यक्ष महेंद्र भाकर ने संभागीय आयुक्त नीरज के. पवन को ज्ञापन भेजकर की है। भाकर ने ज्ञापन में कहा है कि वर्ष-2021 में जोधपुर हाईकोर्ट में बीकानेर के एडवोकेट योगेंद्र तंवर की डी.बी. सिविल पिटिशन संख्या 13538/2022, दिनांक 15 सितंबर-2022 के फैसले की अनुपालना कराई जाए।

महेंद्र भाकर ने बताया कि एडवोकेट योगेंद्र तंवर की जोधपुर हाईकोर्ट की डबल बैंच में रिट दायर होने के बाद जुलाई-2022 में जिला प्रशासन व यूआईटी के अधिकारियों ने न्यायालय की फटकार से बचने से पहले ही महज 10 बीघा भूमि के अतिक्रमण तोड़कर वहां पर सरकारी संपत्ति के बोर्ड लगा दिये। इसके बाद राजनीतिक दबाव के चलते यूआईटी निष्क्रिय हो गया और वहां फिर से भूमाफिया काबिज हो गए। भाकर ने कहा कि 15 सितंबर 2022 को जोधपुर हाईकोर्ट की डबल बैंच के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव व रेखा बोराना की खंडपीठ ने मुख्य सचिव, राजस्व सचिव, बीकानेर कलेक्टर व बीकानेर यूआईटी सचिव को उक्त भूमि का सीमांज्ञान करके 3 माह के भीतर अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया है। खंडपीठ के आदेश की एक माह बाद भी पालना नहीं होने पर भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने संभागीय आयुक्त नीरज के. पवन को शिकायत की है।

प्रदेश में 21 नए करोना संक्रमित मिले सोमवार को

- सबसे ज्यादा 8 नए संक्रमित अजमेर में मिले है।
- राज्य में रिकवरी कम होने से एक्टिव केस बढ़कर पौने चार सौ हो गए हैं।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में सोमवार को थोड़ी और गिरावट के बाद 21 नए करोना संक्रमित मिले हैं। वहीं इस बीच 15 मरीज ठीक भी हुए हैं। राज्य में रिकवरी कम होने से एक्टिव केस बढ़कर पौने चार सौ हो गए हैं।

प्रदेश में सोमवार को 6 जिलों में 21 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले रविवार को इनकी संख्या 39 रही थी। इधर आज सबसे ज्यादा 8 नए संक्रमित अजमेर जिले में मिले हैं। इसके अलावा सिरोही में 5, जयपुर में 3, राजसमंद और उदयपुर में 2-2 तथा जोधपुर में एक संक्रमित मिला है। इस बीच राज्य में 1175 जांचें हुई है।

प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से रिकवरी में कमी आई है। राज्य में पिछले चौबीस घंटों में केवल 15 मरीजों के ठीक होने से एक्टिव केस बढ़कर 375 हो गए हैं। जयपुर में सोमवार को 7 मरीज ठीक हुए हैं। फिलहाल जिले में 62 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में सोमवार को भी करोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। राज्य में अब तक इस बीमारी से 9644 लोगों की मौत हो चुकी है।

राजधानी जयपुर में पिछले चौबीस घंटे में सी-स्कीम और सिविल लाइन में 1-1 नया संक्रमित मिला है। वहीं एक मरीज का पता गलत पाया गया है।

प्रदेश की दो इकाईयों में विद्युत उत्पादन शुरू

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के लम्बे समय से तकनीकी फाल्ट एवं दुर्घटना के कारण बन्द इकाइयों में से 660 मेगावाट क्षमता की सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल की इकाई सं. 7 से 14 अक्टूबर को रात्रि 8.50 बजे से तथा 250 मेगावाट क्षमता की छबड़ा थर्मल की इकाई सं. 4 से सोमवार 17 अक्टूबर को प्रातः 5.57 बजे से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो गया है।

राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक आर. के. शर्मा ने बताया कि श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ तहसील में स्थित सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल विद्युत गृह की 660 मेगावाट क्षमता की इकाई संख्या 7 करीब 7 माह पूर्व 13 मार्च 2022 को जनरेशन ट्रांसफार्मर के आर फेज में हुए ब्लास्ट के कारण बन्द हो गई थी। इस ब्लास्ट से खराब हुए जनरेशन ट्रांसफार्मर को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. के भोपाल स्थित वर्कशॉप में भेजने के पश्चात् उत्पादन निगम की विशेषज्ञ टीम ने बी.एच.ई.एल. भोपाल में लगातार समन्वय कर 1 वर्ष के संभावित सुधार कार्य को मात्र 5 माह में पूरा करवा लिया। जनरेशन ट्रांसफार्मर को मरम्मत पश्चात् 22 सितम्बर को सूरतगढ़ सुपरक्रिटिकल में लाकर युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए मात्र 21 दिनों में स्थापित किया।

'एक लाख परिवारों को मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण'

जयपुर, (का.सं.)। प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता श्रेया गुहा ने कहा कि राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका योजना के तहत एक लाख परिवारों को अकृषि कार्यो के लिए 2000 करोड़ रूपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाना है। राज्य सरकार ने योजना को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक इस वित्तीय वर्ष में दिए गए लक्ष्य के अनुसार एक लाख परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण देना सुनिश्चित करें।

गुहा सोमवार को सहकार भवन में राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका योजना के दायरे में आने वाले वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण एवं सहकारी बैंकों के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की यह योजना अकृषि कार्यों की गतिविधियों में आजीविका पर निर्भर परिवारों के बेहतरी के लिए लागू की है। उन्होंने कहा कि इस योजना से राजीविका से जुड़े समूहों को विशेष रूप से फायदा होगा।

प्रमुख शासन सचिव ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि को निर्देश दिए कि एक माह में पोर्टल तैयार किया जाए ताकि योजना के पात्र लाभार्थियों को जल्द ही ऋण वितरण की प्रक्रिया शुरू की जा सके। उन्होंने कहा कि बैठक में आये विभिन्न सुझावों को ध्यान में रखते हुए योजना को और सरलीकृत किया जाएगा ताकि बैंकों एवं ऋण के लिए पात्र लाभार्थियों को योजना से मिलने वाले लाभ में आसानी हो सके।

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, मंजू राजपाल ने कहा कि इस योजना में राजीविका के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण से जोड़ना महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि राजीविका के महिला समूहों के व्यक्तिगत सदस्यों को ऋण वितरण के लिए कुल ब्याज मुक्त ऋण वितरण का निर्धारित प्रतिशत दिया जाए। जिससे समूहों की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में आसानी हो सके। उन्होंने इससे संबंधित सुझाव भी बैठक में रखें।

रजिस्ट्रार, सहकारिता, मुक्तानंद अग्रवाल ने योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में कई परिवार कृषि एवं पशुपालन के साथ-साथ अकृषि कार्यो जैसे हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई-छपाई आदि से आजीविका पर निर्भर है।

ऑनलाइन गैंबलिंग नियंत्रित करने का ड्राफ्ट तैयार

जयपुर, (का.सं.)। राज्य सरकार ने प्रदेश में ऑनलाइन गैंबलिंग को नियंत्रित और वैध करने के जुडा ड्राफ्ट बिल तैयार कर लिया है और इसे कानूनी रूप देने के लिए जल्दी ही विधानसभा में पेश कर पारित कराया जाएगा। राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने यह जानकारी ऑनलाइन गैंबलिंग व बैटिंग को लेकर दायर जनहित याचिका में पेश की। जिसे रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश रिसॉर्स इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स की जनहित याचिका पर दिए।

जनहित याचिका में अधिवक्ता करण टिबरेवाल ने अदालत को बताया कि ऑनलाइन गैंबलिंग व बैटिंग को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र व राज्य का कोई कानून नहीं है। ऐसे में ये बिना कोई कानून के ही चल रहे हैं। इस संबंध में कानून बनाए जाने के लिए प्रार्थी ने केंद्र व राज्य सरकार को कई प्रतिवेदन दिए हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई।

सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल लांच

जयपुर। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने आज विद्युत भवन में सौर कृषि आजीविका योजना के पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल किसानों एवं विकासकर्ताओं को किसानों की बंजर/अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा संयत्रों की स्थापना में मदद करेगा। इस अवसर पर भाटी ने पत्रकारों से बात करते हुये बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से कृषि भार वाले लोड सेन्टर पर पी.एम. कुसुम कम्पोनेन्ट सी में विकसित विकेन्द्रिकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए सौर कृषि आजीविका योजना तैयार की है।

गहलोत ने जयपुर, पायलट ने दिल्ली में किया मतदान

जयपुर, (का.प्र.)। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सोमवार को पीसीसी में सुबह 10 से दोपहर 4 बजे तक वोट डाले गए। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बनाए गए दो बूथ पर 414 में से 396 डेलिगेट्स ने वोट डाले।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक दिव्या मदेरणा, सचेतक महेंद्र चौधरी समेत 396 डेलिगेट्स ने वोट डाले। सचिन पायलट ने दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय में वोट डाला। इससे पहले वोटिंग नियम में भी रातों-रात बदलाव किया गया था।

चुनाव में राजस्थान के 414 में से 393 डेलिगेट्स ने वोट डाले। 6 नेता वोट डालने नहीं पहुंचे। 15 नेताओं ने दिल्ली और दूसरी जगह वोट डाला। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नारायण सिंह, कांग्रेस नेता लीला मदेरणा, राघवेंद्र मिर्धा, श्रवण कुमार, विधायक वाजिब अली वोट डालने नहीं पहुंचे। वाजिब अली ऑस्ट्रेलिया हैं। नारायण सिंह और श्रवण कुमार बीमार हैं। वही राघवेंद्र मिर्धा की माताजी के निधन के चलते हुए वोट डालने नहीं आए।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद खड़गे के प्रस्तावक के तौर पर उन्हें वोट देने की अपील कर चुके हैं। राजस्थान के कांग्रेस डेलिगेट्स को भी खड़गे को वोट देने के लिए अलग से फोन किए गए थे। वहीं, शशि थरूर को राजस्थान से वोट मिलने की संभावना न के बराबर हैं।

मानसरोवर में बने सिटी पार्क का लोकार्पण 21 अक्टूबर को होगा

- हाऊसिंग बोर्ड ने 52 एकड़ भूमि पर विकसित किया है अत्याधुनिक पार्क
- स्वच्छ आबोहवा के लिए 32 प्रजातियों के 25 हजार फूलदार-फलदार पौधे और करीब 40 हजार फुलवारी लगाई
- 213 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज, फाउंटेन और मध्यम मार्ग एंट्री प्लाजा का भव्य स्टील स्ट्रक्चर प्रमुख आकर्षण

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। मानसरोवर में हाऊसिंग बोर्ड द्वारा 52 एकड़ जमीन पर तैयार सिटी पार्क का लोकार्पण मुख्यमंत्री 21 अक्टूबर को करेंगे। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि समारोह शाम 5 बजे मध्यम मार्ग स्थित पार्क के एंट्रेस प्लाजा पर होगा। जहां यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, सांगानेर विधायक अशोक लाहोटी, सचिव उषा शर्मा, डीजीपी एम.एल. लाठर, यूडीएच प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा समेत कई वरिष्ठ अफसर मौजूद होंगे। समारोह में मुख्यमंत्री 15 आवासीय योजनाओं में निर्मित 2967 आवासों का भी लोकार्पण भी करेंगे।

पवन अरोड़ा ने बताया कि इस पार्क में राजस्थान का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज (213 फीट) और मध्यम मार्ग एंट्री प्लाजा का भव्य स्टील स्ट्रक्चर और आकर्षक फाउंटेन प्रमुख आकर्षण का केन्द्र रहेंगे। तिरंगे झंडे के निकट करीब 2 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में मनोरम लोअर लेक तैयार की गई है। पार्क में 20 फीट चौडा एवं 3.5 कि.मी. लम्बा जॉगिंग ट्रेक बनाया गया है। जिस पर भ्रमण करते हुए लोग आकर्षक लाइटिंग और म्यूजिक का आनंद ले सकेंगे। अरोड़ा ने बताया कि करीब 52 एकड भूमि पर विकसित इस पार्क में मानसरोवर और इसके आस-पास की कॉलोनियों के लाखों लोगों को स्वच्छ आबोहवा मिलेगी। यहां 32 विभिन्न प्रजातियों के 25 हजार फूलदार एवं फलदार पौधे तथा लगभग 40 हजार फुलवारी लगाए गए हैं। जापानी मियावाकी पद्धित से पौधारोपण किया गया है।

उन्होंने बताया कि पार्क में पत्थर-मेटल से बनी 17 विशिष्ट कलाकृतियां (स्कल्पचर्स), टॉयलेट ब्लॉक, 2 पार्किंग एरिया, ऑक्सी हब, रॉक फाउंटेन, बैठने के लिये आकर्षक बैंचें एवं आर.ओ. वाटर पेयजल स्टेशन बनाये है। पार्क में पहले चरण में 61.31 करोड़ रुपये के विकास कार्य होने थे, जिनमें से 55 करोड़ की लागत से कार्य हो चुके है। दूसरे चरण में यहां फाउंटेन स्क्वायर, वी.टी. रोड, अरावली मार्ग एवं न्यू सांगानेर रोड पर एंट्री प्लाजा, बॉटेनिकल गार्डन, एक्सपोजिशन ग्राउंड, जयपुर चौपाटी की तर्ज पर फूड कोर्ट का निर्माण तथा 2500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अपर लेक के कार्य निर्माणाधीन है।

यथा-स्थिति के आदेश

जयपुर। हाईकोर्ट ने सीकर जिले में एसटीपी प्लांट के लिए अवाप्त भूमि पर बने निर्माण को हटाने पर यथा-स्थिति के आदेश दिए हैं। जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने श्रवण कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

दुष्कर्म करने वाले को दस साल की सजा

जयपुर, (का.सं.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने मां को धर्म बहन बनाकर उसकी बेटी से कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सज्जाद उर्फ कालू को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी तारा अग्रवाल ने कहा कि अभियुक्त ने समाज में रिश्तों की गरिमा को कलंकित कर तार-तार किया है। पीड़िता विश्वास कर उसके साथ आई थी, लेकिन उसने उसका विश्वास तोड़ दिया।

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि तीस जनवरी 2019 को पीड़िता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी शादी चार अप्रैल 2013 को हुई थी। उसके दो संतान हैं और वह मायके में रह रही थी। मार्च 2018 को अभियुक्त उसे अपना अवसाद दूर करने के लिए जयपुर साथ चलने को कहा।

इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने उसे अभियुक्त के साथ भेज दिया। यहां अभियुक्त ने उसे ईदगाह के पास मकान में रखा। इस दौरान अभियुक्त ने उसे नशीला ज्यूस पिलाया। जिसके चलते वह बेसुध हो गई और उसे होटल में होश आया। यहां अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया था।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/1823 दिनांक-06.10.2022

जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 150/20 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 266.522 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्री बिश्वम्भर पाही पुत्र श्री नन्द किशोर पाही को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 2671 दिनांक 30.06.1994 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 14.12.1994 को प्राप्त कर लिया गया था। तत्पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 1613 दिनांक 22.03.1995 के द्वारा श्री बिश्वम्भर पाही पुत्र श्री नन्द किशोर पाही के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 23.03.1995 को करवाया गया। तत्पश्चात श्री बिश्वम्भर पाही की मृत्यु दिनांक 03.03.2020 को हो जाने के कारण वसीयतनामा के आधार पर इनकी पुत्री श्रीमती सुदक्षिणा पाही पत्नी श्री देवी सिंह ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। श्रीमती सुदक्षिणा पाही पत्नी श्री देवी सिंह के द्वारा मण्डल अभिलेख में उक्त आवास का मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने का निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्रीमती सुदक्षिणा पाही पत्नी श्री देवी सिंह के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्लॉट नं. बी 217, योजना विज्ञान नगर, जगतपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 355.55 वर्ग गज को बस्सी सीतारामपुरा बी भवन निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर द्वारा श्री राकेश चन्द तायल को जरिये संशोधित आवंटन मय कब्जा पत्र दिनांक 18.11.1999 को आवंटित किया गया था। तत्पश्चात श्रीमती निशा झालानी बहैसियत मुख्तयार- आम श्री राकेश चन्द तायल ने उक्त प्लाट को श्रीमती अन्नु अग्रवाल, श्रीमती कविता अग्रवाल एवं श्रीमती निर्मला चौधरी को जरिये पंजीकृत विक्रय-पत्र दिनांक 06.12.2012 को विक्रय कर दिया। इसी प्रकार प्लॉट नं. बी-218, क्षेत्रफल 355.55 वर्ग गज को उक्त सोसायटी द्वारा श्रीमती रंजना तायल को जरिये संशोधित आवंटन मय कब्जा पत्र दिनांक 18.11.1999 को आवंटित किया गया था। तत्पश्चात श्रीमती सुमन झालानी बहैसियत मुख्तयार-आम श्रीमती रंजना तायल ने उक्त प्लॉट को श्रीमती अन्नु अग्रवाल, श्रीमती कविता अग्रवाल एवं श्रीमती निर्मला चौधरी को जरिये पंजीकृत विक्रय-पत्र दिनांक 06.12.2012 को विक्रय कर दिया। यह कि ज.वि.प्रा., जयपुर में उक्त सोसायटी द्वारा पेश की गई सदस्यता सूची में प्लॉट नं.बी-217 पर श्रीमती रंजना तायल एवं प्लॉट नं.बी- 218 पर श्री राकेश चन्द तायल का नाम अदल-बदल लिख दिया गया है। उक्त दोनों प्लॉटों की मालकिन श्रीमती अन्नु अग्रवाल, श्रीमती कविता अग्रवाल एवं श्रीमती निर्मला चौधरी ने उक्त प्लॉटो को विक्रय करने का इकरार श्रीमती हंसा मीणा से किया है जिसकी खरीद हेतु श्रीमती हंसा मीणा ने उक्त संपत्ति पर ऋण हेतु HDFC Ltd. में आवेदन किया है। उक्त सम्पति बाबत एवं ज.वि.प्रा., जयपुर में उक्त सोसायटी द्वारा पेश की गई सदस्यता सूची बाबत किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति, संस्था, जनसाधारण आदि को कोई भी आपत्ति हो तो निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उक्त सूचना के प्रकाशन के 7 दिवस में अपना अधिकार या हक मय दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा HDFC Ltd. द्वारा उक्त संपत्ति को रहन कर लिया जावेगा एवं उसके पश्चात किसी भी प्रकार की कोई हक या अधिकार मान्य नही होगा।
(पियूष भार्गव एडवोकेट)
6, रघुकमल निवास, गणपति प्लाजा के सामने, एम.आई.रोड, जयपुर
फोन नंबर 0141-4112154
Email-vkbhargavaassociates@gmail.com

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 61/22
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
नाम प्रार्थी (1) विनोद कुमारी पत्नि स्व. श्री धर्मव्रत सिंह नि. ए-244, तारा नगर, ए-झोटवाडा, जयपुर (2) देव व्रत सिंह पुत्र श्री जयसिंह राजपूत नि. 185, ब्रज मण्डल कॉलोनी, झोटवाडा, जयपुर (3) ओमव्रत सिंह पुत्र श्री जयसिंह राजपूत नि. 186-ए, गणेश नगर, झोटवाडा, जयपुर, विवाद स्थान जयपुर
मृतक विद्यावती चौहान की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 16.11.22
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम विद्यावती चौहान पुत्री स्व. जयसिंह जाति राजपूति निवासी ए-222, तारानगर, झोटवाडा, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 16 माह 11 सन् 2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 15 माह 10 सन् 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
मोहर अदालत
आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैशन न्यायालय
जयपुर महानगर-द्वितीय

आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल गंगाराम धाभाई पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण धाभाई निवासी मकान नंबर 4206 मेहता मार्ग, सूरजपोल गलता रोड, जयपुर का है जिसके एक वसीयत दिनांक 20.09.2022 को वर्णित अचल संपत्ति बाबत अपने पाँचों पुत्रान देवीलाल धाभाई, संतोष नारायण धाभाई दिनेश धाभाई, महेश धाभाई, मुकेश धाभाई के हक में निष्पादित कर रजिस्टर्ड करवायी है उक्त वसीयत के बाबत यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई एतराज व आक्षेप हो तो प्रकाशित दिनांक 18-10-2022 से सात दिवस में एतराज जाहिर करे इसके उपरांत एतराज मान्य नहीं रहेगा।
दिनांक: भवदीय
(महेन्द्र सिंह गुर्जर) एडवोकेट

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य बुन्दू खां कुरेशी आयु 73 साल पुत्र नजीर जाति मुसलमान निवासी व्यापारियों का मोहल्ला छोटा बाजार सांभरलेक तहसील फुलेरा मु.सांभरलेक जो कि जरिये मुख्त्यारनामा आम हैं। आराजी कृषि भूमि वाकै ग्राम दूदू पटवार हल्का दूदू के भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दूदू तहसील दूदू जिला जयपुर के राजस्व रिकोर्ड में अंतिम चौसला आधार संवत 2071 से 2074 जमाबंदी 2076 से स्थायी के नया खाता सं. 1583 व पुराना खाता सं. 1236 में स्थित खसरा नम्बर 7280/4583 रकबा 0.1800 हेक्टेयर है के सम्बन्ध में दिनांक 19.06.2013 को रामचरण चोधरी पुत्र रामअवतार चोधरी जाति जाट निवासी बीचला बास गंगाती कलां तहसील दूदू व कैलाश गुर्जर पुत्र रामकरण गुर्जर निवासी शिवाजी नगर दूदू जिला जयपुर का किया था। जिसे जरिये विधिक नोटिस दिनांक 06.02.2004 को नोटिस मियाद बीतने व पर्याप्त प्रतिफल नहीं देने से इकरारनामा निरस्त किया जा चुका है। इसलिए उक्त इकरारनामा से अब मेरा अभिभाष्य किसी प्रकार से पाबंद नहीं है तथा उक्त आराजीयात को अन्यत्र विक्रय करने के लिए मेरा अभिभाष्य स्वतंत्र है। अतः सूचनार्थ
अरविन्द सिंह एडवोकेट मो.नं. 7891268961

नाम परिवर्तन
मैं रजिया बेगम पत्नी मोहम्मद हुसैन ने अपना नाम Rajiya Begum से बदलकर Razia Begum कर लिया है। निवासी नीम की कोठारी, भींचरी, सीकर, राज।

मैं मीठालाल मीणा पुत्र श्री हुरडाराम मीणा निवासी ग्राम-चोरपुरा, तह. निवाई (टोंक) हूँ। मेरी पुत्री गोलमा मीणा के स्कूल रिकार्ड में गलती से मेरी पत्नी का नाम (छात्रा की माता का नाम) इलायची देवी दर्ज हो गया हैं जबकि अन्य सभी दस्तावेज में लाली देवी हैं। जो सही एवं सत्य है। अतः भविष्य में इसी नाम से जाना जावें। मीठालाल मीणा, निवासी-चोरपुरा, तह. निवाई (टोंक)

I, Sweta Anand D/o Ramanand Sharma and W/o Shakil Khan, residing at 102, Radha Apartment, Hanuman Nagar-A, Vaishali Nagar, Scheme No.5, Jaipur, Rajasthan-302021, have embraced ISLAM and renounced HINDUISM with effect from 16.01.2016 and also have changed my name from Sweta Anand to Aliya Khan.

I have changed my name from Dharmendra Jat S/o Ramesh Chand Jat to Dharmendra Choudhary S/o Ramesh Chand Choudhary for all purposes R/o-2805 Hari Jethi Ka chowk, Bagru Walon Ka Rasta, Chandpole Bazar, Jaipur (Raj.)

खोया पाया
मेरे मकान नम्बर 70/216 सैक्टर-7 प्रतापनगर सांगानेर का ओरिजनल लीज डीड व Conveyance and Perpetual deed कहीं गुम हो गये है मिलने पर सूचित करें। नरेश कुमार-9828135602

मेरा प्लॉट संख्या 16,17,18 महावीर कॉलोनी ई गोविंदपुरा टोंक रोड जयपुर के मूल दस्तावेज जो मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति के हैं, कहीं खो गए है। मिलने पर सूचित करें। मिलने पर सूचित करें। केसु लाल 9602419545

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.
क्रमांक-नपाश्रीमा./2022-23/4189-90 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-17.10.2022
श्री रमेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री उपेन्द्र सिंह निवासी वार्ड नं. 24 सुराणी बाजार कस्बा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/ गली का नाम	पडौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं.24 सुराणी बाजार, श्रीमाधोपुर	चर्तु सीमाऐं निम्न प्रकार से है पूर्व दिशा में सत्यनारायण थोईवाला की दुकान, पश्चिम दिशा में बनवारी लाल चौधरी की दुकान, उत्तर दिशा में महावीर चोधरी का मकान व दक्षिण दिशा में आम रास्ता सुराणी बाजार अवस्थित है।	दुकान व्यावसायिक प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूरब से पश्चिम 14 फुट 7 इचं व उत्तर से दक्षिण 27 फुट कुल क्षेत्रफल 44.58 वर्गगज या 37.27 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधिन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 17.10.2022 को जारी की गयी।
अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर